

समाहरणलय, दरभंगा
(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, दरभंगा सदर श्री संजय सरावगी द्वारा दरभंगा जिले के विभिन्न मध्य विद्यालयों/उच्च विद्यालयों/+2 विद्यालयों/प्रोजेक्ट कन्या उ0वि0/महाविद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा तथा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 1704, दिनांक 04.06.2020 द्वारा निर्गत संशोधित दिशानिर्देश के आलोक में बेंच-डेस्क की आपूर्ति हेतु द्वि-लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। पहला लिफाफा पर तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा पर वित्तीय निविदा लिखना अनिवार्य होगा। दोनों सीलबंद लिफाफों को एक अन्य सीलबन्द लिफाफों के अन्दर रखा जायेगा। सभी लिफाफों पर निविदादाताओं को अपने प्रतिष्ठान का नाम अंकित करना होगा लिफाफा बिल्कुल सीलबन्द होना अनिवार्य है। निविदा कोई भी प्रतिष्ठान/अधिकृत विक्रेता/ निर्माता द्वारा जमा किया जा सकता है। सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को बेंच-डेस्क का निर्माण संबंधित शैक्षणिक संस्थान में ही स्थानीय मजदूर, जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, से कराना होगा तथा बेंच-डेस्क के निर्माण में लोहा का उपयोग नहीं किया जाएगा। बेंच-डेस्क का निर्माण आम एवं शीशम की लकड़ी से किया जाएगा, जिसके तहत बेंच-डेस्क का फ्रेम शीशम की लकड़ी का होगा एवं पटरा आम की लकड़ी का होगा।

बेंच-डेस्क के लिए दो प्रकार की विशिष्टियों 'क' एवं 'ख' के रूप में अंकित की जा रही है। अतः एक ही साथ एक ही अग्रधन की राशि पर 'क' एवं 'ख' के लिए निविदा डाला जा सकता है।

उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार	विशिष्टियाँ
बेंच-(शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पीचा-18 इंच X 2 इंच X 2 इंच-चार (ii) पारी-60 इंच X 3 इंच X 1 इंच-दो (iii) साईड पारी-07 इंच X 3 इंच X 1 इंच-तीन (iv) गज-07 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच-दो (v) पटरा आम का-60 इंच X 10 इंच X 1 इंच-एक
डेस्क-(शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 30 इंच X 14 इंच	(i) पीचा- 30 इंच X 2 इंच X 2 इंच-चार (ii) पारी 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच-दो (iii) साईड पारी-10 इंच X 4 इंच X 1 इंच-तीन (iv) गज-12 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच-दो (v) पटरा आम का-60 इंच X 10 इंच X 1 इंच-एक (vi) पटरा आम का-60 इंच X 4 इंच X 1 इंच-एक

(क) तकनीकी निविदा की शर्त :-

1. तकनीकी निविदा में 20000 (बीस हजार) ₹0 मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से देय एवं दरभंगा में भुगतान हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
3. तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित डी0आई0सी0 के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र या बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
4. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. पैन नं0 प्रतिष्ठान/संचालक का होना चाहिए।
6. निविदादाता को विगत 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज न होने संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा हस्तगत शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नआवर 50 लाख ₹0 से अधिक होने का साक्ष्य समर्पित करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त :-

1. वित्तीय निविदा में बेंच-डेस्क स्पेसिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

सामान्य शर्त :-

1. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को विपत्र पर नियमानुसार स्रोत पर निर्धारित कर की कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
2. बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्तक्षरी को सुरक्षित है।
3. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

- 4. सफल निविदादाता को बैंच-डेस्क का नमूना जिला क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नमूना गुणवत्ता पूर्ण पाए जाने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायगा। निर्माण कार्य स्थानीय मजदूर जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हों, से ही कराना होगा।
- 5. कार्यालय आदेश प्राप्त होने के दो माह के अन्दर बैंच-डेस्क की आपूर्ति संबंधित मध्य/उच्च विद्यालयों में निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर करना होगा तथा इसके लिए अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंच-डेस्क पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, अनुशंसी विधायक का नाम, वर्ष एवं विद्यालय का नाम निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए।
- 6. परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर इसके लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।

जिला योजना कार्यालय, दरभंगा में मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 07-09-2020 को अपराहन 1.00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे तथा उसी दिन अपराहन 3.00 बजे उप विकास आयुक्त, दरभंगा के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sl
24/8/2020

SB
24/8/2020
जिला योजना पदाधिकारी,
दरभंगा।

ly
24/8/20
उप विकास आयुक्त,
दरभंगा।